

निं ०-4539/2018/संघ/भू २०

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)

श्री विकास डिवेदी
द्वारा वेश/18-7-18
M



जयवीर यादव तनय राजमणि यादव, साकिन सिरसी, तहसील
गोपदबनास, जिला सीधी (म०प्र०)

—आवेदक

बनाम

मृत जगजीवन द्वारा विधिक प्रतिनिधि :-

- 1- श्रीमती छोटी उर्फ बोदौआ विधवा पत्नी जगजीवन
- 2- निर्मल यादव तनय जगजीवन यादव
- 3- कमोद तनय जगजीवन यादव
- 4- मुन्नी पुत्री जगजीवन यादव

साकिन सिरसी, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म०प्र०)

—अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध तहसीलदार, तहसील
गोपदबनास, जिला सीधी दिनांक
वावत् प्र०क०-11-अ-19/1986-87
अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया के विपरीत है ।
- 2- यह कि विवादित भूमि नं०-599 शासकीय जंगल की भूमि थी और खसरे में भी जंगल दर्ज था और शासकीय जंगल की भूमि पर किसी व्यक्ति को भूमिस्वामी अधिकार किसी के द्वारा नहीं दिये जा सकते और ना ही शासकीय जंगल की भूमि को धारा 237 के अधीन परिवर्तित कर किसी को भूमिस्वामी हक दिया जा सकता ।

AH

Signature



नि म उपवीर

290

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-4539-सीध/18 जिला सीध

जयवीर यादव विरुद्ध ज़मीनी छोटी जय बोदोका वगैरे

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री विकास दिव्यी अधिवक्ता द्वारा यह नायब तहसीलदार तहसील गोपद बतान (सीध) के प्रकरण क्रमांक 111/अ.19/86-87 में पारित आदेश दिनांक + के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीध के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 5-3-19 को कलेक्टर सीध के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">सदस्य</p>	